फर्द अहकाम

(नियम क)

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

किस्म मुकदमाः– उ.अ. धारा 22 के अन्तर्गत मु.नं. 54/2022

सरकार बनाम श्यामलाल S/O भजनलाल
जाति जांगिड़ सा. खाजूवाला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/07/2022	पटवारी हल्का 2KLD से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का के रिपोर्ट के अनुसार श्री श्यामलाल पुत्र श्री भजनलाल जाति जांगिड़ निवासी खाजूवाला चक 16PB के मु.न. 10/28 के किला नम्बर 11 ता 25 में तादादी 15.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड पर सम्वत् 2079 की फसल खरीफ/रबी में नाजायज काश्त जिन्स ग्वार की काश्त कर रखी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जावे तथा हल्का भू. अभिलेख निरीक्षक O-KD को खड़ी फसल कुर्क करने के आदेश जारी किये जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 29/08/2022 को पेश हो। [signature] तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला (बीकानेर)	वास्ते नोटिस तामील नोटिस प्राप्त किया [signature] 28/8/22 पटवारी प.ह. 2KLD
29/08/2022	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। नोटिस जारी किया जो बाद तामील प्राप्त हुआ। पटवारी हल्का 2KLD द्वारा दिनांक 28/07/2022 को रिपोर्ट पेश की गई थी। जिस पर धारा 22 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया जाकर पत्रावली संधारित की गई। [signature] 29.08.22 तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला (बीकानेर)	

पटवारी तथा गिरदावर द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र पी-14 को शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकार को नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली रहे। पक्षकार द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। भू-अभिलेख निरीक्षक को फसल ग्वार कुर्क करने हेतु लिखा गया। परन्तु ILR द्वारा फर्द कुर्की अभी तक पेश नहीं की गई है। इस प्रकार अप्रार्थी ने संवत 2079 की फसल खरीफ मे चक 16PB के मु०न० 10/28 के कि०नं० 11 ता 25 में 15.00 बीघा भूमि पर काश्त कर अतिचार किया है। जिसके फलस्वरूप श्री श्यामलाल पुत्र भजनलाल जाति जांगिड़ निवासी खाजूवाला को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अतिक्रमी को अतिक्रमण करने के आरोप में चक 16PB के मु०न० 10/28 के कि०नं० 11 ता 25 में 15.00 बीघा के लगान 0.14 रूपये प्रति बीघा की दर से 15.00 बीघा का 50 गुणा अर्थदण्ड 105 रूपये (एक सौ पाँच रूपये मात्र) अतिक्रमी पर आरोपित की जाती है। अतिक्रमी से 105 रूपये वसूलने हेतु हल्का पटवारी को लिखा जावे तथा T.R.A. को भी मांग कायमी हेतु लिखा जावे। अतिक्रमी को अराजीराज भूमि से बेदखल किया जाकर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त किया जावे। फसल ग्वार को कुर्क किया जाकर फर्द कुर्की हेतु पुनः लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली R.I. हल्का से फर्द कुर्की प्राप्त होने पर नीलाम की जाकर फर्द नीलामी वास्ते स्वीकृति हेतु प्राप्त होने पर पेश मिसी जावे।

'घ' रजिस्टर के पृष्ट संख्या ......19...... पर रूपये .....105.00.. की मांग कायम की गई।

टी.आर.ए.
खाजूवाला

[signature] 29.8.22

तहसीलदार (राजस्व)
खाजूवाला (बीकानेर)